न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 563/2023

अनवान : –

1. रामदेव पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
2. सावित्री पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 16/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 161/256 के ख0न0 254/2 की 1.8210 हैक्ट, ख0न0 325/4 की 2.5170 हैक्ट ख0न0 435/2 की 1.5410 हैक्ट 5.8790 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम खातेदार काश्तकार थे उनकी फौतदगी के बाद वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है इसलिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 जो की वादी की बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है। प्रतिवादी स0 2 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 161/256 के ख0न0 254/2 की 1.8210 हैक्ट, 435/2 की 1.5410 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा एवं ख0न0 325/4 की 2.5170 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार रहेगा। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2075–78 रोही मौजा जबरासर खाता संख्या 161/256 प्रदर्श–1, जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग रोही मौजा जबरासर सम्वत 2029–38 प्रदर्श–2, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं पतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी ने रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 161/256 के ख0न0 254/2 की 1.8210 हैक्ट, ख0न0 325/4 की 2.5170 हैक्ट ख0न0 435/2 की 1.5410 हैक्ट 5.8790 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 2 से स्पष्ट साबित है कि उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक दादालाई कृषि भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 [illegible] कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 161/256 के ख0न0 254/2 की 1.8210 हैक्ट, ख0न0 325/4 की 2.5170 हैक्ट ख0न0 435/2 की 1.5410 हैक्ट कुल 5.8790 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 161/256 के ख0न0 254/2 की 1.8210 हैक्ट, 435/2 की 1.5410 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 325/4 की 2.5170 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:44 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 563/2023

अनवान : –

1. रामदेव पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
2. सावित्री पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 563 सन 2023 निर्णय दिनांक 16/10/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 161/256 के ख0न0 254/2 की 1.8210 हैक्ट, ख0न0 325/4 की 2.5170 हैक्ट ख0न0 435/2 की 1.5410 हैक्ट कुल 5.8790 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता संख्या 161/256 के ख0न0 254/2 की 1.8210 हैक्ट, 435/2 की 1.5410 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 325/4 की 2.5170 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:03:44 IST
Reason: SelfAttested